

हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 10-02-2000 का कार्यवृत्त

दिनांक 10-02-2000 को आयुक्त, मेरठ मण्डल एवं अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:-

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1- श्री एन०ए० विश्वनाथन   | अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।  |
| 2- श्री अतुल कुमार गुप्ता | सचिव, आवास, उ०प्र० शासन, लखनऊ।   |
| 3- श्रीमती एल०एम० वास     | उपाध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड  |
| 4- श्री इन्द्रजीत वर्मा   | जिलाधिकारी, गाजियाबाद।   |
| 5- श्री एम०पी० अनेजा      | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।  |
| 6- श्री ऊषाकान्त गुप्ता   | संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)  |
| 7- श्री जी०एस० कहलो       | अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि० (मुख्य अभियन्ता के प्रतिनिधि)  |
| 8- श्री एस०के० जमान       | मुख्य समन्वय नियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सैल, गाजियाबाद (आयुक्त, एन०सी०आर०उ०प्र० उपक्षेत्र के प्रतिनिधि) |

अन्य उपस्थिति:-

श्री डी०पी० सिंह सचिव, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण।

निम्न आमंत्रित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे:-

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1- श्रीमती मोनिका एस० गर्ग | विशेषाधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण            |
| 2- श्री सी०बी० सिंह        | वित्त निधन्त्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण         |
| 3- श्री वेद मित्तल         | मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गा०वि०प्रा०        |
| 4- श्री अनिल भटनागर        | इकनॉमिक प्लानर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सैल, गा० |

मद सं०	विषय	निर्णय
1-	द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक 31-10-98 की कार्यवाही की पुष्टि।	द्वितीय बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	द्वितीय बोर्ड बैठक की अनुपालन आरूपा।	अनुपालन आरूपा अवलोकित की गयी।
3-	विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 1999-2000 का आय-व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव।	वर्ष 1999-2000 हेतु रु० 757.202 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। वास्तविक व्यय से प्रस्तावित व्यय अधिक दिखाये जाने का कारण यह है कि कुछ धनराशि इस वित्तीय वर्ष में ऋण के रूप में प्राप्त होगी जिसे इसी

Wang  
/s/

वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण की मद में खर्च किया जायेगा।

4- हापुड के लिये बनायी गयी महायोजना।

हापुड पुनरीक्षित महायोजना प्रारूप के क्रम में दिनांक 31-10-98 को सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एन०सी०आर० प्लानिंग सैल द्वारा महायोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31-10-98 की बैठक में महायोजना में प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को अधिक लचीला बनाने हेतु अनुमन्य भू-प्रयोग की श्रेणियों को कम एवं संगठित करने के निर्देश दिये गये थे। बोर्ड के समक्ष नये जोनिंग रेगुलेशन्स प्रस्तुत किये गये जिनमें भू-प्रयोगों की श्रेणियों को 10 से घटाकर 8 कर दिया गया तथा कई यूज-जोन को संगठित कर एक बनाया गया जिसके फलस्वरूप यूज-जोन्स की कुल उप-श्रेणी 24 से घटाकर 14 हो गयी - उदाहरणार्थ नगरीय निर्मित क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित श्रेणियों को एक ही श्रेणी में संकलित किया गया है। इसी प्रकार नगरीय व्यापारिक केन्द्र एवं क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रों को एक श्रेणी में किया गया। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स शासन द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार किये गये मोडल जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर संशोधित किये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त महायोजना प्रारूप पर आमंत्रित आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई हुई। शासन द्वारा गठित उप-समिति की संस्तुति जिसमें कुछ मुख्य संस्तुति निम्न प्रकार थी, को जोनिंग रेगुलेशन्स के साथ अनुमोदित किया गया।

- 1- प्रीत विहार आवासीय योजना के स्थल का भू-प्रयोग आवासीय सहकार्यशाला परिवर्तित कर प्राधिकरण की योजना के अनुरूप आवासीय कर दिये जायें।
- 2- प्रस्तावित चमडा मंडी के चारों ओर 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का प्राविधान किया जाये।

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

3- दिल्ली रोड को मेरठ रोड से जोड़ने वाली एवं मेरठ रोड को गढ़ रोड से जोड़ने वाले महायोजना मार्गों के दोनों ओर प्रस्तावित हरित पट्टी को 60 मीटर से घटाकर 25 मीटर कर दिया जाये।

4- बुलन्दशहर रोड पर एक और सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान/सीवेज फार्म का प्राविधान किया जाये।

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सेंचुरी लेमिनेशन के प्रकरण पर भी विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उक्त उद्योग काफी वर्षों से हापुड में कार्यरत है तथा वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण में भी इकाई प्रदर्शित की गयी है। अतः सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों को यथास्थान बने रहने दिया जाये। यह उद्योग 100 करोड़ टर्नओवर देकर राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। अतः इसके प्रसार के लिये यदि भूमि प्राधिकरण द्वारा दी जाती है तो ऐसी दशा में औद्योगिक प्रयोग हेतु स्पॉट जोन कर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि महायोजना प्रारूप में उक्त संशोधन कर महायोजना को अन्तिम रूप देकर शासन को प्रेषित कर दिये जायें।

5- हापुड पिलसुवा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित 5 योजनाओं की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराना।

6- प्राधिकरण की तीन योजनाओं आनन्द विहार, बस अड्डा एवं ट्रान्सपोर्टनगर की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की अवधि बढ़ाना।

7- हापुड पिलसुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत लिये जा रहे विकास दरों की स्वीकृति।

समय अभाव के कारण विचार हेतु प्रस्तुत नहीं किये जा सके। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक हेतु स्थगित किया गया।

--तदैव--

--तदैव--

8- द्वितीय बोर्ड बैठक के मद सं०-11 पर विकास क्षेत्र घोषित होने से पूर्व नगरीय निर्मित क्षेत्र के निर्माण पर सुदृढीकरण शुल्क के विषय में।

--तदेव--

9- मोदीनगर रोड पर सचिव, शिक्षा भारती द्वारा प्रस्तावित इन्टर कालेज के निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

--तदेव--

10- नेशनल हाईवे के दोनों ओर स्थित औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्र को औद्योगिक प्रयोग हेतु स्पॉट जोनिंग करने के सम्बन्ध में।

इस मद में नेशनल हाईवे-24 के दोनों ओर स्थित औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्र को स्पॉट जोन करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बोर्ड को यह अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में काफी लम्बे समय से बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं जिसमें कुछ इकाईयां विकास क्षेत्र/विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधिसूचित किये जाने से पूर्व से ही कार्यरत हैं। पुराने औद्योगिक विकास के अनुरूप ही कोई औद्योगिक इकाईयां भी इस क्षेत्र में विकसित हो रही हैं। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने की नीति को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी इकाईयों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाये तथा प्रचलित नियमों, प्राविधानों एवं विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत प्लान तैयार किया जाये जिसमें औद्योगिक इकाईयों हेतु आवश्यक समस्त सुविधाओं एवं उपयोगिताओं का समुचित प्राविधान किया जाये। पूरे क्षेत्र का नियोजन इस प्रकार किया जाये जिसमें नेशनल हाईवे पर यातायात के अबाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। नेशनल हाईवे पर औद्योगिक इकाईयों को सीधी एक्सेज न लिया जाये। उक्त विस्तृत प्लान शासन/ एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड से नियमानुसार अनुमोदित कराया जाये। जिलाधिकारी द्वारा इस क्षेत्र में नई विकसित हो रही तीन औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र स्वीकृत

कराने का सुझाव दिया गया। ये तीनों प्रकरण उनके समक्ष उद्योग बन्धु में प्रस्तुत किये गये थे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो प्रस्ताव उद्योग बन्धु के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उन औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र सभी नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किये जा सकते हैं क्योंकि वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जबकि पूर्णतः क्षेत्र औद्योगिक विकसित हो चुका है और इन मानचित्रों को स्वीकृत कराने में कोई यथास्थिति में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह इकाईयां एक काम्पेक्ट क्षेत्र में ही हैं। अन्य प्रस्ताव समयाभाव के कारण प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

*Uas*  
(एन०एम० वास) 5/2005  
उपाध्यक्ष

हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण,  
हापुड

अनुमोदित

*Ume*  
(एन०एम० विश्वनाथन) 5/2005

अध्यक्ष, हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण/  
अधुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ